

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 5-विनियम एवं औ०सं०/पाकालि/11-5-विनियम/88

दिनांक: 29 जनवरी, 2011

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की दिनांक 08.01.2011 को सम्पन्न हुई 85 वीं बैठक में उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली-1970 (यथा संशोधित) के भाग-4 के प्रस्तर-10 एवं विनियम-17 के उपनियम (3) के निम्न अंकित स्तम्भ-1 के वर्तमान प्राविधानों को आंशिक रूप से संशोधित कर स्तम्भ-2 में अंकित प्राविधानों से प्रतिस्थापित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

स्तम्भ-1

वर्तमान प्राविधान

विनियम के भाग-4 के प्रस्तर-10: भर्ती हेतु शैक्षिक योग्यताएँ किसी अभ्यर्थी में प्रशिक्षार्थी अभियन्ता के रूप में सीधी भर्ती के लिए देवनागरीय लिपि में हिन्दी का भलीभाँति ज्ञान के साथ निम्न अर्हतायें होना आवश्यक है :-

(1) इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/टेलीकम्युनिकेशन/इन्सट्रुमेंटेशन/इलेक्ट्रानिक्स/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/इण्डस्ट्रियल / इण्डस्ट्रियल एण्ड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में उ०प्र० में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान की डिग्री या डिप्लोमा, जिसे राज्य सरकार ने उसके समतुल्य मान्यता दी हो।

या

(2) एसोशियेट मेम्बरशिप आफ इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इण्डिया) के खण्ड "ए" व "बी"

विनियम-17 Appointment to the post of Assistant Engineer का उप नियम-3 :-

Assistant Engineer appointed on or after the date of issue of this notifications under Regulation 17(1) except those Assistant Engineers whose date of superannuation falls within a period of two years from the date of their appointment on the post of Assistant Engineer, shall be required to serve on first appointments as Assistant Engineer for a minimum period of first sixty calendar months

स्तम्भ-2

प्रतिस्थापित विनियम

विनियम के भाग-4 के प्रस्तर-10: भर्ती हेतु शैक्षिक योग्यताएँ किसी अभ्यर्थी में प्रशिक्षार्थी अभियन्ता के रूप में सीधी भर्ती के लिए देवनागरीय लिपि में हिन्दी का भलीभाँति ज्ञान के साथ निम्न अर्हतायें होना आवश्यक है :-

(1) A degree in Electrical/Computer Science & Engineering/Electronics/Telecommunication/Instrumentation Engineering/Information Technology from a University or Institution established by Law in Uttar Pradesh or from any other Institution recognized by the State Government or a Degree or Diploma recognized as Equivalent thereto by the State Government.

OR

(2) एसोशियेट मेम्बरशिप आफ इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इण्डिया) के खण्ड "ए" व "बी"

विलोपित

५०५०३०

(first five years of service) in Board's Large Thermal Power Stations (including Thermal Power Stations of U.P. Rajya vidyut Utpadan Nigam Limited) and that the Assistant Engineers having degree in Industrial/Industrial & production Engineering shall be required to serve at Large Thermal Power Stations throughout their service.

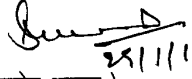
2. उपरोक्त संशोधन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
3. संगत विनियमावली के अन्य प्राविधान यथा संशोधित लागू रहेंगे।

**निदेशक मण्डल की आज्ञा से,
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक**

संख्या: 5 (1) विनियम एवं औ0सं0/पाकालि/11-तददिनांक: 29/1/11

प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
- 3- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 राज्य जल विद्युत निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
- 5- समस्त निदेशकगण, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
- 7- मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 9- अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित/महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/सलाहकार(औस/काविनी), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
- 10- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ को निदेशक मण्डल की 85 वीं बैठक दिनांक 08.01.2011 में लिए गये निर्णय के अनुपालन के सन्दर्भ में।
- 11- अधिशासी अभियन्ता (वेब साइट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड किए जाने हेतु।
- 12- पत्रावली संख्या-11-विनियम/88/कट फाइल।


(जावेद अहमद)
अनुसचिव (विनियम)